कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-सीहोर मध्यप्रदेश

{Ph.No. : 07562 - 224141, E-mail: dexosehore@yahoo.com}

सीहोर दिनांक 16/03/2020

--00निविदा विज्ञप्ति00--

सर्वसाधारण की जानकारी एवं ट्रेवलिंग एजेंसीज़ की विशेष जानकारी के लिए शासन आदेशानुसार एवं आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर के पत्र क्रमांक/9--लेखा/प्रा. वाहन/2019-20/180 ग्वालियर दिनांक 02.03.2020 अनुसार आबकारी विभाग, जिला सीहोर में वर्ष 2020-21 हेतु अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य (आबकारी अपराधों की रोकथाम) के लिए 04 **वाहन मासिक किराए (फिक्सड एवं वेरिएबल चार्ज के आधार पर देय)** पर लेने हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है।

वाहन किराए पर लगाए जाने हेतु निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिनांक 27.03.2020 दिन शुक्रवार अपरान्ह् 12:00 बजे तक जिला आबकारी कार्यालय जिला सीहोर से प्राप्त किए जाकर दिनांक 27.03.2020 को ही 14:00 बजे तक जिला आबकारी कार्यालय जिला सीहोर में जमा किए जा सकते है। जिन्हें दिनांक 27.03.2020 को ही 16:00 बजे से उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष इस हेतु गठित समिति के द्वारा खोले जावेंगें। निविदादाता की अनुपस्थिति निविदा खोलने की प्रकिया को बाधित नहीं करेगी। निविदा फार्म की **कीमत 500/-(पाचं सौ रूपए)** मात्र होगी। यह राशि निविदादाता द्वारा **मद 0039 स्टेट एक्साइस 800 अन्य प्राप्तियों के मद में सायबर कोषालय के माध्यम से चालान जमा कर** निविदा फार्म प्राप्त की जा सकती है। वाहन का **माडल वर्ष 2017** के पूर्व का न हो, वाहन का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। वाहन किराये से लगाये जाने के लिए नियमानुसार सर्विस टैक्स (सेवाकर दाता) पंजीकृत फर्म/संस्थाओं/व्यक्ति से निविदा आमंत्रित की जाती है। सेवाकर हेतु पंजीकरण न होने की दशा में संबंधित संस्था/फर्म/व्यक्ति द्वारा टैक्सी सेवाओं के दिये जाने संबंधी प्रचलित नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्सड चार्ज तथा मुख्यालय से बाहर हेतु वेरियल चार्ज के आधार पर पृथक-पृथक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता अन्य नियमों व शर्तों की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है।

जिला आबकारी अधिकारी
जिला सीहोर (म.प्र.)
16/3/2020

क्रमांक/आब./स्टोर/06/2019-20/ 598
प्रतिलिपिः-

सीहोर, दिनांक 16/03/2020

1. आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा भवन भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन भोपाल की किसी भी एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता भोपाल ई-5/78 अरेरा कालोनी भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग सीहोर की ओर समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ।
5. सहायक जिला आबकारी अधिकारी मण्डल-सीहोर/आष्टा/नसरूल्लागंज जिला-सीहोर की ओर प्रचारार्थ।
6. आबकारी उपनिरीक्षक वृत-सीहोर/दोराहा/आष्टा/बुदनी/नसरूल्लागंज की ओर प्रचारार्थ।
7. कार्यालय नोट बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. आबकारी उपनिरीक्षक वृत सीहोर को निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त विज्ञप्ति सहायक संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग सीहोर में निर्वाह करवाकर इसका प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर समाचार पत्र की कटिंग इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

जिला आबकारी अधिकारी
जिला-सीहोर (म.प्र.)